UPSI010019142026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।
उपस्थित : आशीष जैन, एच.जे.एस.
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 152/2026
सी.आई.एस. नं.–834 / 2026

श्रीराम उम्र 65 वर्ष पुत्र खगेसुर लोध निवासी ग्राम करबलापुरवा मजरा जमैयतपुर थाना खैराबाद जिला सीतापुर। आवेदक / अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। अभियोजक।

मु0अ0सं0: 243 / 2024
धारा : 406,504,506 भा0दं0सं0
थाना : खैराबाद
जिला :सीतापुर

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

मु0अ0सं0–243 / 2024 अन्तर्गत धारा 406,504,506 भा0दं0सं0 थाना खैराबाद जिला सीतापुर से सम्बन्धित आवेदक / अभियुक्त श्रीराम की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अधिवक्ता आवेदक / अभियुक्त व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ अभियुक्त द्वारा स्वयं का इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसका का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि वादी अपने सोने चॉदी का व्यवसाय अपनी फर्म भोलानाथ चन्द्र प्रकाश ज्वैलर्स निकट चंद्र मैरिज लान खैराबाद से करता है। वादी से श्रीराम दिनॉक 17.04.2024 को जेवर 5,11,230 कुल रूपये का ले गये थे जिसका बिल संख्या जी39 व एस35 है जिसमें उन्होने 1,93,540 रूपये दिया गया था और शेष 3,17,690 रूपये बाकी था जब वादी ने रूपये की मॉग की तो श्रीराम ने रूपये देने से साफ इंकार किया तथा गन्दी–गन्दी गालिया देने लगे और कहा कि दोबारा मॉगा तो जान से मार देगे तथा झूठे केस में फॅसा देगे। उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष की कहानी झूठे तथ्यो पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटनास्थल व घटना की दिनॉक का उल्लेख नही है तथा गवाह भी दर्शाया नही गया है। वादी द्वारा वर्ष 01.06.2011 को आवेदक की जमीन का बैनामा कराया था। वादी शेष भूमि का बैनामा जबरदस्ती कराना चाहता है। आवेदक द्वारा उक्त घटना के सम्बंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक फौ0 वाद योजित किया गया था जो कि दिनॉक 21.09.2024 को निरस्त हो गया है। वादी गॉव करबला में 2 बीघा

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.04.08 17:26:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Stp.

जमीन सड़क की तरफ जबरदस्ती लिखवाकर प्लांटिग कराना चाहता है। उपरोक्त कथन करते हुये आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 एवं विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का कथन किया है।

पुलिस प्रपत्रों व पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व वादी मुकदमा की सोने चॉदी की दुकान से 5,11,230 रूपये के जेवर खरीदने तथा 1,95,540 रूपये नगद दिये जाने तथा शेष धनराशि 3,17,690 रूपये बकाया किये जाने का आरोप है। वादी द्वारा शेष बकाया धनराशि मॉगे जाने पर अभियुक्त द्वारा बकाया धनराशि देने से इंकार किये जाने तथा भद्दी–भद्दी गालिया देते हुये झूठे मुकदमें में फॅसाने तथा जान से मारने की धमकी दिया जाना कहा है। सम्बंधित लेन–देन के सम्बंध में टैक्स इनवाइस एवं लेजर की प्रति बिल संख्या जी39 व एस35 दाखिल होने का उल्लेख है। प्रकरण में विवेचक द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मामलें में प्रथम दृष्टया विधि प्राविधानों का दुरूपयोग परिलक्षित नही हो रहा है। इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी उसकी क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से की जा रही हो। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई संतोषजनक आधार नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मु0अ0सं0–243/2024 अन्तर्गत धारा 406,504,506 भा0दं0सं0 थाना खैराबाद जिला सीतापुर में वॉछित आवेदक/ अभियुक्त श्रीराम की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 08.04.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।

अजीत.

J.O.Code-UP -2024